(To be replaced with the letter bearing same No. and date)

कार्यालयः–महानिदेशक राज्य परिवहन हरियाणा, चण्डीगढ।

सेवा में,

1. सभी महाप्रबन्धक,
   हरियाणा राज्य परिवहन,
2. उडनदस्ता अधिकारी,
   आई0एस0बी0टी0–दिल्ली

क्रमांक 7886-87 /टी0आई0–1 दिनांक 09-9-2014

विषय– चालकों/परिचालकों को निलम्बित/बहाल करने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में चालकों/परिचालकों द्वारा किराया लेने उपरान्त यात्रियों को टिकट नहीं देने, यात्रियों को टिकट जारी करने में लापरवाही बरतने, निरीक्षण टीम को दे–बिल नहीं दिखाने/आनाकानी करने, निरीक्षण टीम के साथ दुर्व्यवहार करने, बस को निर्धारित मार्ग पर न चलाकर अन्यत्र चलाने, बस को बस स्टैण्ड पर न ले जाने इत्यादि की शिकायतें अक्सर प्राप्त होती हैं। इस तरह की शिकायतों पर रोकथाम के लिए डिपो स्तर की टीमों के अतिरिक्त मुख्यालय की टीमों द्वारा भी बसों की चैकिंग की जा रही है। मुख्यालय की टीमों की रिपोर्ट के आधार पर सम्बन्धित कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए महाप्रबन्धकों को लिखा जाता है। कुछ मामलों में सम्बन्धित कर्मचारियों को निलम्बित करने बारे भी मुख्यालय द्वारा निर्देश दिए जाते हैं। निलम्बित कर्मचारियों को बहाल करने बारे महाप्रबन्धकों से सिफारिशें मुख्यालय में प्राप्त होती हैं जिनमें एकरूपता नहीं होती जिसके कारण समान तथ्यों वाले केसों में अलग–2 कार्रवाई की जा रही है जो सही नहीं हैं।

मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि ऐसे केसों में भविष्य में निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगीः–

1. ₹ 200/– तक के गबन राशि के केसों में संबन्धित कर्मचारियों को बहाल करने की सिफारिश महाप्रबन्धकों के द्वारा निलम्बन तिथि से एक महीने के समय से पूर्व नहीं की जाएगी।
2. ₹ 200/– से अधिक गबन राशि व स्टाफ द्वारा निरीक्षण टीम के साथ दुर्व्यवहार करने, दे–बिल नहीं दिए जाने या दिखाने में आनाकानी करने के केसों में सम्बन्धित कर्मचारियों को बहाल करने की सिफारिश महाप्रबन्धकों के द्वारा निलम्बन तिथि से दो महीने के समय से पहले नहीं की जाएगी।
3. इसी प्रकार ₹1000/– से अधिक गबन राशि के केसों में सिफारिश निलम्बन तिथि से चार महीने के समय से पूर्व नहीं की जाएगी।
4. जब तक सम्बन्धित कर्मचारी को आरोप पत्र जारी नहीं किया जाता और कर्मचारी के द्वारा आरोप पत्र का उत्तर नहीं दिया जाता या जांच अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाता तब तक महाप्रबन्धक के द्वारा कर्मचारी को बहाल करने की सिफारिश नहीं की जाएगी।
5. जब तक कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय मामले का निपटान नहीं हो जाता तब तक ऐसे कर्मचारी को लम्बे रूट पर नहीं लगाया जाएगा।

अतः आपको निर्देश दिए जाते हैं कि उक्त हिदायतों को मध्यनजर रखते हुए कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

9/9/14

कृतेः महानिदेशक राज्य परिवहन
हरियाणा, चण्डीगढ